कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 12.03.2025)
आयुक्तालय जोधपुर

आगामी होली के त्यौहार के मध्य नजर श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 11.03.2025 को 1:00 पीएम से 10:00 पीएम तक सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध कार्यवाही करने का विशेष अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में श्री आलोक श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त जिला पूर्व एवं श्री राजर्षि राज पुलिस उपायुक्त जिला पश्चिम के निकट सुपरविजन एवं समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में सभी थानों के हैड कानिस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक तक के अधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों का 60 पुलिस एक्ट में व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध 185 एमवी एक्ट में कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में आगामी होली के त्यौहार को मध्य नजर समस्त वृताधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थानों के अधिकारियों एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में सभी थानों के हैड कानिस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक तक के अधिकारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में **सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों का 60 पुलिस एक्ट में 300 कार्यवाही व शराब पीकर वाहन चलाने वाले 115 वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।**

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा इस प्रकार का अभियान आगामी होली के त्यौहार तक लगातार जारी रहेगा।

रात्रि कालीन गश्त के दौरान कुल **297** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा राजकोप ऐप पर कुल **141** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ **51** संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले **14** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत् कार्यवाही, **14** बंपर लगे वाहनों, **05** बिना नंबरी वाहनों, **05** काला शीशा लगे वाहनों, **04** टैक्सी चालकों के विरुद्ध खतरनाक तरीके चलाने वाले **03** चालकों, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले **04** चालकों के विरूद्ध एम.वी.एक्ट के तहत् चालान कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आगामी होली के त्यौहार को मध्य नजर रखते हुए आपके आस-पास क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द, कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालो की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,

आयुक्तालय जोधपुर